(ख) यदि तुलनात्मक दृष्टि से लाभ अधिक हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह निर्णय राजनीतिक कारणों से किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). प्रशासनिक एवं परिचालन सम्बन्धी पहलुओं के आधार पर ही मंडल प्रधान कार्यालय को मुजफ्फ़रपुर की बजाय समस्तीपुर में रखने का विनिश्चय किया गया है। मुजफ़्फ़रपुर की अपेक्षा समस्तीपुर में पहले से ही रेलवे के अधिक कार्यालय और कर्मचारी हैं। मुजफ्फरपुर में कर्मचारियों की संख्या केवल 1281 है, जब कि समस्तीपुर में इनकी संख्या 4849 है और यहां पर उन्हें 115 खाट वाले एक अस्पताल और एक रेलवे इंस्टीट्यूट के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। समस्तीपुर में रेलवे का एक कारखाना, एक भंडार डिपो और एक इंजन शेड भी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, New Delhi

5663. SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI : Will the Minister of LAW AND SOCIAL Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sub-standard and adulterated food is supplied to the boarders of the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, New Delhi;

(b) whether the persons incharge who purchase provisons etc. for Boarding House misappropriate the money by purchasing cheap things and indicating exorbitant prices for the same in the accounts; and

(c) if so, what steps are being taken to set the management right ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE [DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA] : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

मनोहरगंज स्टेशन उत्तर रेलवे पर गार्ड का लूटा जाना

5664. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मार्च, 1969 को उत्तर रेलवे के मनोहरगंज स्टेशन पर डाकुओं ने पिस्तोल दिखाकर 303 अप गाड़ी में तैनात गार्ड श्री एल० पी० सिंह को लूट लिया था और यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में ऐसी दुर्घटनाएं होती रही हैं और यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी स्थिति में रेलवे गार्ड तथा रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) जी हां गार्ड का नाम श्री एल० बी० सिंह है, न कि श्री एल० पी० सिंह जैसा कि कहा गया है।

इलाहाबाद की संरकारी रेलवे पुलिस ने 15-3-69 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन अपराध सं० 132 के रूप में मामले को दर्ज कर लिया जाता है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं।